BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 22 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर महामारी अधि0 का उल्लंघन करने के अरोपी को 03 वर्ष 11 माह का कारावास व 51,700/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त वंशी पहाड़िया पुत्र बिहारी सिंह निवासी न्यू किला रोड़ शनि मंदिर के पास थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बिना मास्क के भीड़ एकत्रित कर कोविड़-19 के नियमों का उल्लंघन करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 03.02.2022 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 104/2022 धारा- 171एच, 188, 269, 270 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 व 3(1) महामारी संसोधन अधि0, उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12.12.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 22.08.2024 को न्यायाधीश श्री विनय कुमार (मा0 न्यायालय ए.सी.जे.एम अनूपशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वंशी पहाड़िया को 03 वर्ष 11 माह का कारावास व 51,700/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री हितेन्द्र सिंह वर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर